

29.01.2025:-पत्रावली पेशी में ली गई। उपयपक्ष उपस्थित।
उभयपक्ष के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली का
अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में
अधिवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर
रखते हुए। राजीनामा एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार
निर्णय अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।
तहसीलदार हनुमानगढ को निर्णय की पालना में पत्र
जारी कर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली नम्बर
से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(Handwritten Signature)
सद्विपक्ष कसकर
एवं उपखण्ड अधिकारी
दुमरीगढ

